Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता : ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. ऐकता हुसैन* कामिनी गुर्जर**

* सहायक आचार्य, श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ वि.वि., उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – बाल अधिकार मानवाधिकारों का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी समाज के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना तथा ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता के स्तर की तुलना करना है।

इस अध्ययन में कुल 600 विद्यार्थियों को नमूने के रूप में चयनित किया गया, जिनमें 300 ग्रामीण तथा 300 शहरी विद्यार्थी सम्मिलित थे। अध्ययन के लिए शोधकर्ता द्वारा निर्मित बाल अधिकार जागरूकता प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें कुल 48 कथन थे और तीन बिंदु मापनी (3 Point scale) का प्रयोग किया गया।

प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण मध्यमान तथा क्षेत्रवार तुलना के आधार पर किया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि शहरी विद्यार्थियों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर ग्रामीण विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पाया गया।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि महाविद्यालय स्तर पर बाल अधिकारों से संबंधित पाठ्यक्रम, संगोष्ठी तथा जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

प्रस्तावना – बालक किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा समान अवसर प्राप्त हों। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व स्तर पर बाल अधिकारों की अवधारणा विकसित हुई।

भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान तथा अधिनियम बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1989 में पारित बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) ने बाल अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की।

बाल अधिकारों को सामान्यत: निम्न प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है :

1. सामान्य जानकारी
2. पोषण एवं स्वास्थ्य
3. संरक्षण
4. समानता
5. शिक्षा
6. कानूनी संरक्षण

इन अधिकारों के प्रति जागरूकता समाज के प्रत्येक वर्ग में आवश्यक है। विशेष रूप से महाविद्यालय के विद्यार्थी भविष्य के नागरिक तथा सामाजिक परिवर्तन के वाहक होते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर किस प्रकार भिन्न है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण विद्यार्थियों के बाल अधिकार जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।
3. शहरी विद्यार्थियों के बाल अधिकार जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के मध्य कुल जागरूकता स्कोर की तुलना करना।
5. विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों की जागरूकता की तुलना करना।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया।

नमूना (Sample) – इस अध्ययन के लिए कुल 600 विद्यार्थियों को नमूने के रूप में चुना गया।

समूह	संख्या
ग्रामीण विद्यार्थी	300
शहरी विद्यार्थी	300
कुल	600

नमूना चयन यादृच्छिक पद्धति से किया गया।

उपकरण – अध्ययन के लिए शोधकर्ता द्वारा निर्मित बाल अधिकार जागरूकता प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

इस प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताएँ :

- कुल कथन : 48
- क्षेत्र : 6
- प्रत्येक क्षेत्र में : 8 कथन
- मापनी : तीन बिंदु मापनी

स्केल

1 = असहमत

2 = अनिश्चित

3 = सहमत

अधिक अंक का अर्थ अधिक जागरूकता है।

परिणाम एवं विश्लेषण

(क) कुल जागरूकता स्कोर की तुलना

समूह	संख्या
ग्रामीण विद्यार्थी	92.40
शहरी विद्यार्थी	104.60

परिणामों से स्पष्ट है कि शहरी विद्यार्थियों का मध्यमान ग्रामीण विद्यार्थियों से अधिक है।

(ख) क्षेत्रवार जागरूकता तुलना

क्षेत्र	ग्रामीण मध्यमान	शहरी मध्यमान
सामान्य जानकारी	15.2	17.6
पोषण एवं स्वास्थ्य	14.8	17.1
संरक्षण	15.4	18.0
समानता	15.1	17.5
शिक्षा	16.0	18.4
कानूनी संरक्षण	15.9	16.9

परिणामों से स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रों में शहरी विद्यार्थियों की जागरूकता अधिक पाई गई।

निष्कर्ष– अध्ययन के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए :

1. महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में बाल अधिकारों के प्रति मध्यम स्तर की जागरूकता पाई गई।
2. शहरी विद्यार्थियों की जागरूकता ग्रामीण विद्यार्थियों से अधिक पाई गई।
3. शिक्षा तथा संरक्षण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता पाई गई।
4. कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत कम पाई गई।

सुझाव:

1. महाविद्यालयों में बाल अधिकारों पर विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएँ।
2. विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएँ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
4. बाल अधिकारों से संबंधित सामग्री पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाए।
5. शिक्षकों को बाल अधिकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. National Commission for Protection of Child Rights (2018).
2. UNICEF (2019). Child Rights in Education.
3. Government of India (2009). Right to Education Act.
4. Sharma, R. (2016). Child Rights and Education.
5. Singh, A. (2018). Awareness of Child Rights among Students.
6. UNICEF (1989). Convention on the Rights of the Child.

****